नोटः–* आगरा मण्डल, इलाहाबाद मण्डल, झांसी मण्डल, झांसी कारखाना, कार्यालय उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक/झांसी, उप मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.), लाइन/झांसी, वरिष्ठ विद्युत अभियंता/कारखाना/झांसी, सिथौली कारखाना/ग्वालियर और मुख्यालय उत्तर मध्य रेल में उपलब्ध रिक्तियों के लिये।

शारीरिक विकलांग कोटे के अभ्यर्थियों के लिए पदों का विभाजन कोटि संख्या 7 के लिए ओ.एच. (एक हाथ प्रभावित– दायां या बायां)01 एवं एच.एच. (आंशिक रूप से बहरा) 01 कोटि 8 के लिये ओ.एच.(एक हाथ प्रभावित दायां या बायां)01 कोटि सं. 10 के लिए एचएच (बहरा, आंशिक रूप से बहरा)07. नोट : रेलवे मंत्रालय द्वारा चिन्हित किये गए पदों पर शारीरिक विकलांग कोटे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। ऊपर में दर्शाए गए शारीरिक विकलांग कोटे के आरक्षित पदों की स्थिति अंतिम नहीं है। **(i)** उपरोक्त दर्शायी गयी रिक्तियाँ केवल संभावित हैं और आवश्यकतानुसार इनमें परिवर्तन हो सकता है। **(ii)** उपरोक्त दर्शायी गई भूतपूर्व सैनिक कोटे की रिक्तियों को कुल रिक्तियों में शामिल किया गया है।

(iii) संक्षिप्तियाँ :–

1	अ.जा.	अनुसूचित जाति	11	यां.	यांत्रिक
2	अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति	12	वा.	वाणिज्य
3	अ.पि.व.	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	पीईटी	शारीरिक दक्षता परीक्षा
4	अना.	अनारक्षित	14	डब्ल्यू/एस	वर्कशाप
5	भू.सै.	भूतपूर्व सैनिक	15	शा.वि.	शारीरिक विकलांग
6	रे.भ.प्र.	रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ	16	ओ.एच.	आर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड
7	उ.म.रे	उत्तर मध्य रेलवे	17	एच.एच.	हियरिंग हैण्डीकैप्ड
8	अ.प	आवेदन पत्र	18	पी.डी.एस.	पर्सनल डाटा शीट
9	वि.	विद्युत	19	से.रे.क.	सेवारत रेल कर्मचारी
10	सं.दू.	संकेत एवं दूर संचार			

3. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता :–

अभ्यर्थी को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो उम्मीदवार 8वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं और/या अंतिम परीक्षा परिणाम के इंतजार में हैं, वे उम्मीदवार पात्र नहीं है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान/बोर्ड से प्राप्त की हो अन्यथा उम्मीदवारी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4.1 उक्त सभी रिक्तियों के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष होगी तथा 01.01.08 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। **4.2** ऊपरी आयु सीमा में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर निम्नानुसार छूट होगी :– **(i)** सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध जाति–प्रमाण पत्र रखने वाले अजा/अजजा उम्मीदवारों हेतु पांच वर्ष और अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष। **(ii)** केन्द्र व राज्य सरकार से गठित चिकित्सा बोर्ड के द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर शारीरिक विकलांग कोटा के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में **दस वर्षों की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. के मामले में पन्द्रह वर्ष व अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में तेरह वर्ष** दी जाएगी) **(iii)** आईआरईएम जिल्द– I (1989 संस्करण) के पैरा नं. 115 के अनुसार रेलवे में कार्यरत अनियत मजदूर, जिनकी न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा हो चुकी हो, उनके द्वारा व्यतीत सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते की आयु सीमा सामान्य, अ.पि.व, अ.जा./अ.ज.जा. के मामले में क्रमशः– 40, 43 और 45 वर्ष से अधिक नहीं हो। **(iv)** रेलवे संगठन के अर्द्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे कि रेलवे कैन्टीन, रेलवे संस्थानों तथा रेलवे सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को जिनकी 3 वर्ष की सेवा हो चुकी हो, उनके द्वारा व्यतीत सेवा अवधि के बराबर आयु में छूट प्रदान की जायेगी जो कि अधिकतम 05 वर्ष की तथा 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के भीतर होगी। **(v)** विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को जो न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई हैं तथा पुनर्विवाह नहीं किया है आयु सीमा में सामान्य, अ.पि.व. तथा अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों में मामले में क्रमशः 35, 38 तथा 40 वर्ष तक की आयु की छूट दी जायेगी। **(vi)** आयु में पांच वर्ष की छूट उन उम्मीदवरों को दी जाएगी जो 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर मंडल के साधारणतया अधिवासी रहे हों लेकिन उन्हें जम्मू एवं कश्मीर सरकार के उपयुक्त अधिकारी से जारी अधिवास का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(vii)** भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा छूट उनके द्वारा रक्षा सेनाओं में व्यतीत सेवा में 3 वर्ष जोड़कर छूट दी जाएगी बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम 6 माह की सत्यापित सेवा की हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो पहले ही उन्हें प्राप्त अन्य लाभों का फायदा उठाकर सिविल सेवा में ज्वाइन कर चुके हों भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक के रूप में आगे, लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों को सिविल कर्मचारी माना जायेगा और वे तदनुरूप सिविल कर्मचारियों को मिलने वाली केवल आयु में छूट आदि जैसे लाभ ही प्राप्त कर सकेंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियाँ एवं बच्चे आवेदन करने के पात्र नहीं है। **(viii)** अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। **4.3 आयु का प्रमाणः**– (क) सक्षम प्राधिकारी से जारी जन्म प्रमाण पत्र या (ख) शैक्षणिक प्राधिकारी के द्वारा 8वीं कक्षा के लिए जारी प्रमाण–पत्र (ग) बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण–पत्र या (घ) विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जिस पर विद्यालय निरीक्षक/प्रधानाध्यापक/जिला शिक्षा अधिकारी आदि द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये गये हों।

5. परीक्षा शुल्कः–

5.1 अनारक्षित और अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 40रू. (केवल चालीस रूपये) है। अ.जा./अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिक जो कोटि से संबंधित हैं एवं शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट है। **5.2** परीक्षा शुल्क का भुगतान "सहायक कार्मिक अधिकारी/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे" के पक्ष में किसी राष्ट्रीकृत बैंक के क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट/आईपीओ के द्वारा भुगतान हेतु **इलाहाबाद** में देय होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट/आईपीओ के भुगतान की वैधता कम से कम छः महीने की होनी चाहिए। **5.3** नकदी/चैक/सेन्ट्रल रिक्रूटमेन्ट स्टैम्प और धनादेश (मनीआर्डर) के साथ प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायंगे और उन्हें निरस्त माना जाएगा। **5.4** रोजगार सूचना जारी होने से पूर्व और इसकी अंतिम तारीख के पश्चात जारी किये गये पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट सहित प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त माना जाएगा। **5.5** उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे बैंक ड्राफ्ट/भा.पो.आ. के पीछे अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें और इसे मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। परीक्षा शुल्क का पूरा विवरण पर्सनल डाटा शीट के कालम नं0 18 में लिखें। परीक्षा शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा एवं न ही दूसरी परीक्षा हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।

6. आवेदन कैसे करें:–

6.1 आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत डाटा शीट भरने के पूर्व अभ्यर्थियों को रोजगार सूचना में उल्लेखित दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लेना चाहिए।**6. 2**आवेदन पत्र (व्यक्तिगत डाटा शीट सहित) अच्छी क्वालिटी के ए4 आकार (210 मि.मी. X 297 मि.मी) के सफेद कागज पर केवल एक तरफ से प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किये जाने चाहिए। **6.3** उम्मीदवारों को रोजगार सूचना में दिये गए निर्धारित प्रोफार्मा का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोफार्मा में किसी तरह के बदलाव की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। **6.4** उम्मीदवारों को अपनी लिखावट में काले जेल पेन/काले बाल प्वाइंट पेन से अपेक्षित सूचना भरनी चाहिए। **6.5** आवेदन पत्र हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए तथा अन्य किसी भाषा में नहीं होना चाहिए। उस पर विधिवत दिनांक एवं हस्ताक्षर किए जाएं। यदि भर्ती की प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि आवेदन पत्र हिंदी/अंग्रेजी के अतिरिक्त या अन्य किसी भाषा में तथा आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरे गये हैं तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा। **6.6** उम्मीदवार आवेदन के लिफाफे के ऊपर "**समूह 'घ' के लिए आवेदन**" का उल्लेख